

विधानसभा आवश्यक

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 26(वि.स./सामान्य).स्था/आकाशि/2019/1515

दिनांक: 11 जुलाई, 2023

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।


विषय: दिनांक 14.07.2023 से पुनः प्रारम्भ होने जा रहे 15वीं राजस्थान विधानसभा के अष्टम सत्र के दौरान बैठके आयोजित नहीं करवाने बाबत।
संदर्भ: प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान का पत्र क्रमांक प.17 (1)संसद/2022 दिनांक: 03.01.2023 एवं विभाग का पत्रांक 1191 दिनांक 13.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि 15वीं राजस्थान विधानसभा के अष्टम सत्र की बैठकें दिनांक 14.07.2023 से पुनः प्रारम्भ हो रही है। अतः संलग्न परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,




(गोपाल राम बिरडा)
अतिरिक्त आयुक्त

क्रमांक: एफ 26(वि.स./सामान्य).स्था/आकाशि/2019/1515

दिनांक: 11 जुलाई, 2023

प्रतिलिपि: वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कृपया आयुक्तालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।



(गोपाल राम बिरडा)
अतिरिक्त आयुक्त

87

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक: प.17(1)संसद/2022

जयपुर, दिनांक:

परिपत्र

विषय :- विधान सभा सत्रकाल के दौरान बैठकें नहीं करने के संबंध में।

15वीं राजस्थान विधान सभा का अष्टम सत्र सोमवार, दिनांक 23 जनवरी, 2023 से प्रारम्भ हो रहा है। राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्यों को विभिन्न राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय समितियों में सदस्यों के रूप में मनोनीत किया जाता है। राजस्थान विधानसभा सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व माननीय विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार संसदीय कार्य विभाग द्वारा एक परिपत्र जारी किया जाता है, जिसके द्वारा समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/सम्भागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर, पंचायती राज तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विशेष रूप से सत्रकाल के दौरान बैठकें नहीं करने के बारे में निवेदन किया जाता है।

विधान सभा में सत्र के दौरान कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है कि सत्र के दौरान अधिकारीगण विभिन्न बैठकें आयोजित करते हैं जिसमें उनकी भागीदारी आवश्यक होती है और उक्त बैठकों में भाग लेने से माननीय सदस्य वंचित रह जाते हैं और यदि वे सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं तो जिला स्तरीय समिति में बिना उनकी सहभागिता के निर्णय ले लिए जाते हैं तथा अधिकारीगण संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र की पालना नहीं करते हैं।

उक्त स्थिति को देखते हुए इस सम्बन्ध में निर्देश दिए जाते हैं कि विधान सभा सत्र प्रारम्भ होने से दो दिवस पूर्व एवं सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के दो दिवस पश्चात तक (शनिवार एवं रविवार सहित) की अवधि एवं सत्र काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा गठित विभिन्न राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय एवं अन्य समितियों, जिनमें माननीय सदस्यों को भाग लेना पड़ता है, की बैठकें आयोजित नहीं की जाएं एवं विशेष परिस्थितिवश बैठक का आयोजन करना अतिआवश्यक हो तो माननीय सदस्यों की पूर्व सहमति लें।

यदि भविष्य में बिना माननीय सदस्य की सहमति के बैठक बुलाई जावेगी तो वह माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का हनन माना जावेगा और विधानसभा की विशेषाधिकार समिति उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध पड़ात्मक कार्यवाही कर सकती है।

कृपया परिपत्र में अंकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें एवं परिपत्र की प्राप्ति की सूचना भी इस विभाग को तुरन्त भिजवाई जावें।

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
शासन सचिव, जयपुर
जायरी संख्या.....
दिनांक.....

-हस्ताक्षरित-
(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव

JS, Plan
JS, TE
DS, HE
JS, ME

09.01.2023

10/1/23
SOP
9/1/23

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिवगण।

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरि. शासन उप सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर सहित)/समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि जिनमें मा10 विधायकों की भागीदारी होती है, कृपया संबंधित विश्वविद्यालय एवं अनुदानित विश्वविद्यालय में उपरोक्त परिपत्र की पालना के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का श्रम करें।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उपरोक्त परिपत्र के पालन के सम्बन्ध में समस्त विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर सुधार न्यास/नगर परिषद/नगरपालिकाओं को निर्देश जारी करें।
8. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृषि उपज मंडी समितियों, जिनमें मा10 विधायकों की भागीदारी होती है, कृपया उपरोक्त परिपत्र के पालन के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
9. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग/शासन सचिव, सहकारिता विभाग, जिन समितियों में मा10 विधायकों की भागीदारी होती है, कृपया उपरोक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Narain
Designation : Senior Deputy
Secretary
Date: 2023.01.03 17:05:09 IST
Reason: Approved

